

आदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के आदेश संख्या:डीजी-चार-स्था०-(291)/2023/563 दि० 27.05.2023 द्वारा समयावधि पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप मुख्य आरक्षी ना०पु०/112023906 शीतांश गंगवार का कमिश्नरेट कानपुर नगर से कमिश्नरेट लखनऊ स्थानांतरण किया गया था, जिसके अनुपालन में पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर के आदेश संख्या:त-120/2023 दिनांक 10.01.2024 द्वारा विलम्ब से उक्त मुख्य आरक्षी को कमिश्नरेट कानपुर नगर से कमिश्नरेट लखनऊ हेतु स्थानांतरण पर कार्यमुक्त किये जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या:3178/2024 मुख्य आरक्षी ना०पु०/112023906 शीतांश गंगवार व 06 अन्य, कमिश्नरेट कानपुर नगर बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29.02.2024 को सुनवाई के उपरान्त स्थानांतरण आदेश दिनांक 27.05.2023 व 29.05.2023 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 10.01.2024 को पारित आदेश दिनांक 29.02.2024 द्वारा **quashed** करते हुए याची की सेवाओं की विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत नियमानुसार स्थानांतरण किये जाने की छूट प्रदान की गयी है।

उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या:5001/आठ-1-86 दिनांक 11.07.1986 में निहित निर्देशानुसार मुख्य आरक्षी ना०पु०/112023906 शीतांश गंगवार द्वारा कमिश्नरेट कानपुर नगर की समयावधि 10 वर्ष से अधिक पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29.02.2024 को पारित किये गये आदेश द्वारा उक्त याची की सेवाओं की विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत नियमानुसार स्थानांतरण किये जाने की छूट प्रदान किये जाने के समादर में मुख्य आरक्षी ना०पु०/112023906 शीतांश गंगवार को कमिश्नरेट कानपुर नगर से लखनऊ परिक्षेत्र स्थानांतरित किया जाता है। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या:एसपी-(ई-1)-(समयावधि/मा० उच्च न्याया०)-392/2024 दिनांक 29.06.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है। कर्मि का गृह जनपद फतेहगढ़ है।

DGP HQRS UP LKW
DG-IV-STHA-392/2024/1101 DT 29-06-2024


(राहुल मिश्रा)

अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना,
निमित्त पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक
उ०प्र० लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल, (द्वितीय टावर), पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ, लखनऊ-226002

संख्या:डीजी-चार-स्था०-(392)/2024/1101

दिनांक:जून 29, 2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मि को 10 दिवस के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
2. पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मि के आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।

आदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के आदेश संख्या:डीजी-चार-स्था०-(291)/2023/563 दि० 27.05.2023 द्वारा समयावधि पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप मुख्य आरक्षी ना०पु०/950930219 बृजेश कुमार का कमिश्नरेट कानपुर नगर से कमिश्नरेट आगरा स्थानांतरण किया गया था, जिसके अनुपालन में पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर के आदेश संख्या:त-120/2023 दिनांक 10.01.2024 द्वारा विलम्ब से उक्त मुख्य आरक्षी को कमिश्नरेट कानपुर नगर से कमिश्नरेट आगरा हेतु स्थानांतरण पर कार्यमुक्त किये जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या:3178/2024 मुख्य आरक्षी ना०पु०/112023906 शीतांश गंगवार व 06 अन्य, कमिश्नरेट कानपुर नगर बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29.02.2024 को सुनवाई के उपरान्त स्थानांतरण आदेश दिनांक 27.05.2023 व 29.05.2023 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 10.01.2024 को पारित आदेश दिनांक 29.02.2024 द्वारा **quashed** करते हुए याची की सेवाओं की विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत नियमानुसार स्थानांतरण किये जाने की छूट प्रदान की गयी है।

उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या:5001/आठ-1-86 दिनांक 11.07.1986 में निहित निर्देशानुसार मुख्य आरक्षी ना०पु०/950930219 बृजेश कुमार द्वारा कमिश्नरेट कानपुर नगर की समयावधि 10 वर्ष से अधिक पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29.02.2024 को पारित किये गये आदेश द्वारा उक्त याची की सेवाओं की विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत नियमानुसार स्थानांतरण किये जाने की छूट प्रदान किये जाने के समादर में मुख्य आरक्षी ना०पु०/950930219 बृजेश कुमार को कमिश्नरेट कानपुर नगर से कानपुर परिक्षेत्र स्थानांतरित किया जाता है। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या:एएसपी-(ई-1)-(समयावधि/मा० उच्च न्याया०)-392/2024 दिनांक 29.06.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है। कर्मि का गृह जनपद काशीराम नगर है।

DGP HQRS UP LKW



DG-W-STHA392/2024/1102 DT 29-06-2024

(राहुल मिश्रा)

अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना,
निमित्त पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक
उ०प्र० लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल, (द्वितीय टावर), पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ, लखनऊ-226002

संख्या:डीजी-चार-स्था०-(392)/2024/1102

दिनांक:जून 29, 2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मि को 10 दिवस के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2 पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मि के आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।

आदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के आदेश संख्या:डीजी-चार-स्था०-(291)/2023/563 दि० 27.05.2023 द्वारा समयावधि पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप मुख्य आरक्षी ना०पु०/062412298 निजामुद्दीन का कमिश्नरेट कानपुर नगर से लखनऊ परिक्षेत्र स्थानांतरण किया गया था, जिसके अनुपालन में पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर के आदेश संख्या:त-120/2023 दिनांक 10.01.2024 द्वारा विलम्ब से उक्त मुख्य आरक्षी को कमिश्नरेट कानपुर नगर से लखनऊ परिक्षेत्र हेतु स्थानांतरण पर कार्यमुक्त किये जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या:3178/2024 मुख्य आरक्षी ना०पु०/112023906 शीतांश गंगवार व 06 अन्य, कमिश्नरेट कानपुर नगर बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29.02.2024 को सुनवाई के उपरान्त स्थानांतरण आदेश दिनांक 27.05.2023 व 29.05.2023 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 10.01.2024 को पारित आदेश दिनांक 29.02.2024 द्वारा quashed करते हुए याची की सेवाओं की विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत नियमानुसार स्थानांतरण किये जाने की छूट प्रदान की गयी है।

उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या:5001/आठ-1-86 दिनांक 11.07.1986 में निहित निर्देशानुसार मुख्य आरक्षी ना०पु०/062412298 निजामुद्दीन द्वारा कमिश्नरेट कानपुर नगर की समयावधि 10 वर्ष से अधिक पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29.02.2024 को पारित किये गये आदेश द्वारा उक्त याची की सेवाओं की विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत नियमानुसार स्थानांतरण किये जाने की छूट प्रदान किये जाने के समादर में मुख्य आरक्षी ना०पु०/062412298 निजामुद्दीन को कमिश्नरेट कानपुर नगर से प्रयागराज परिक्षेत्र स्थानांतरित किया जाता है। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या:एएसपी-(ई-1)-(समयावधि/मा० उच्च न्याया०)-392/2024 दिनांक 29.06.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है। कर्मि का गृह जनपद रायबरेली है।

DGP HQRS UP LKW



DG-M-STHA-392/2024/1103 DT 29-06-2024


(राहुल मिश्रा)

अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना,
निमित्त पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक
उ०प्र० लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल, (द्वितीय टावर), पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ, लखनऊ-226002

संख्या:डीजी-चार-स्था०-(392)/2024/1103

दिनांक:जून 29, 2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मि को 10 दिवस के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2 पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मि के आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।